

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 71/2022

उनवान

1. देउ देवी खेमा सालवी(बलाई) नि० हमीरगढ तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. भागुती पुत्री खेमा सालवी(बलाई) नि० हमीरगढ तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारी पत्नी स्व. घीसा सालवी(बलाई) नि० हमीरगढ तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. जालम पुत्र नगजीराम सालवी(बलाई) नि० हमीरगढ तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. भैरु पुत्र कजोड सालवी(बलाई) नि० हमीरगढ तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. गोपी पुत्र सोला (बलाई) नि० हमीरगढ तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 24.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भूअ.नि. हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 447 की कृषि भूमि की आ०न० 1247/2 रकबा 0.1897है०, आ०न० 1248/3 रकबा 0.0379है०, आ०न० 1250/5 रकबा 0.0632है०, कुल किता 03 रकबा 0.2908 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भूअ.नि. हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 447 की कृषि भूमि की आ०न० 1247/2 रकबा 0.1897है०, आ०न० 1248/3 रकबा 0.0379है०, आ०न० 1250/5 रकबा 0.0632है०, कुल किता 03 रकबा 0.2908 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(अंशुल आमेरिया)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाडा

